भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3727
16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों का कल्याण

3727. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों के कल्याण हेतु एक प्रारूप योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में गत तीन वर्षों के दौरान किसानों के कल्याण हेतु जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) ने देश में किसानों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की है :

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान):-

सरकार ने हाल ही में दिनांक 01.12.2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम शुरू की है ताकि देश भर में सभी किसान परिवारों को आमदनी संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा सके जिससे वे कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों और घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित अपने खर्चों में राहत प्राप्त कर सकें। स्कीम में किसान परिवारों को प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 2000 रूपए की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रूपए दिए जाते हैं। दिनांक 20 जून, 2019 तक 33,082,811 किसानों को 66,165,622,000/- रूपये की पहली किस्त और 28,865,038 किसानों को 57,730,076,000/- रूपये की दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है।

2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई):-

सरकार ने हाल ही में देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक पेंशन योजना अनुमोदित की है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था में उनके पास मामूली या शून्य बचत रहने के कारण उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवंच प्रदान करना और बाद में उनकी आजीविका का स्रोत समाप्त होने पर उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर पात्र किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3000 रूपए की निर्धारित पेंशन प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। लाभार्थी पेंशन फंड जिसका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है, में अंशदान करके योजना का सदस्य बन सकते हैं ।

(ग): पिछले 3 वर्षों के दौरान डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा आवंटित एवं जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध पर है।

लो.स.अता.प्र.सं.3727

अनुबंध

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू)

बजट अनुमान एवं व्यय का विवरण

(रूपये करोड़ में)

	स्कीम	2016-17 *		2017-18**		2018-19**	
क्र.सं.		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	1700.00	1286.03	1726.39	1384.16	1700.00	1614.51
2	राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन (एनएमओओपी	500.00	327.50	405.40	266.05	402.07	343.20
3	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	1620.00	1493.07	2329.13	2033.77	2546.30	2003.19
4	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए/आरएडीपी)	1062.00	658.34	1145.33	695.62	1186.18	1060.21
5	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी)	1100.00	1192.75	1961.39	2259.86	2937.48	2582.14
6	समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना (आईएसएसीएस)	210.00	172.49	262.84	246.73	302.14	279.79
7	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना (एनपीएएफ)	0.00	0.00	100.00	42.66	75.00	28.58
8	राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण	0.10	0.00	8.08	1.75	10.32	3.20
9	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2340.00	1991.25	3400.00	2819.24	4000.00	2918.38
10	राष्ट्रीय कृषि मंडी	50.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	5400.00	3892.02	4750.00	3560.11	3600.00	3370.71
12	राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	150.04
13	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- (एनसीआईपी)	5500.00	14650.83	9000.75	9419.68	13014.15	11945.33
14	ब्याज राजसहायता	0.00	0.00	15000.00	13045.72	15000.00	11495.66
15	भूमि बैंकों में निवेश	0.00	18.18	25.00	0.00	0.00	0.00
16	समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)	787.90	782.49	1238.40	637.21	1104.50	525.98
17	समेकित कृषि सहकारी योजना (आईएसएसी)	130.00	129.81	130.00	228.18	130.00	137.79
18	मंडी हस्तक्षेप योजना / मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस /पीएसएस) का कार्यान्वयन	0.00	0.00	199.30	700.92	200.00	1400.00
19	मूल्य स्थिरीकरण निधि	0.00		0.00	0.00		0.00
20	भारतीय मृदा एवं भू- उपयोग सर्वेक्षण	0.00	0.00	22.51	23.81	25.43	25.43
21	डीजल राजसहायता	0.00	0.00	0.00	21.34	0.00	0.00
22	फसल अवशेषों के स्व:स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.33
23	आय सहायता योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6050.56
	कुल	**20400.00**	**26639.66**	**41704.52**	**37386.81**	**46533.57**	**46519.03**

*केवल योजना स्कीम

**दोनों योजना एवं गैर-योजना स्कीम

****